रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 21, 2018/ज्येष्ठ 31, 1940
No. 423] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2018/JYAISTHA 31, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2018

सा.का.नि. 579(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में, उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**– (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल** :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि** :– भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** :– वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** :– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक।	18* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	लेवल–4 (रु.25500–81100)	अचयन पद।	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष।) **टिप्पण** : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं होगी वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि, आवेदनों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 'शून्य'।	(i) 50 प्रतिशत–प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) 40 प्रतिशत–सीधी भर्ती द्वारा ; और (iii) 10 प्रतिशत–प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 (रु. 19900–63200) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पहले ही अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन :– केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :–

(i) जो नियमित आधार पर मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों ; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 (रू. 19900–63200) में मूल काडर या विभाग में जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण–1 : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण–2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण–3: प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य (3) अवर सचिव, गृह मंत्रालय, जो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का कार्य देख रहा हो – सदस्य **2. समूह 'ग' विभागीय पुश्टिकरण समिति (पुश्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :–** (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य (3) अवर सचिव, गृह मंत्रालय, जो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का कार्य देख रहा हो – सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. I–12014/42/2017–एन सी बी–II]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव